लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2665
04 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

सूक्ष्म, लघु और मध्यम वस्त्र इकाइयां

2665. श्री सतपाल ब्रह्मचारीः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु और मध्यम वस्त्र इकाइयों को आधुनिक मशीनरी, स्वचालन, गुणवत्ता में सुधार और प्रतिस्पर्धी उत्पादन के लिए पर्याप्त वित्तीय और तकनीकी सहायता की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान हरियाणा में, विशेष रूप से सोनीपत लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र में, वस्त्र एमएसएमई के प्रौद्योगिकी उन्नयन की योजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं, आबंटित निधि और लाभान्वित इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का आधुनिक मशीनरी की खरीद, डिजिटलीकरण, ऊर्जा-दक्ष उपकरणों, गुणवत्ता प्रमाणन तथा कौशल उन्नयन के लिए कोई विशेष सहायता पैकेज या रियायती वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उक्त पहलों के माध्यम से रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, निर्यात में वृद्धि करने तथा स्थानीय वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार करने के लिए उठाए जा रहे अतिरिक्त उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वस्त्र राज्य मंत्री
(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): "मेक इन इंडिया" के माध्यम से वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकी उन्नयन के द्वारा रोजगार सृजन और निर्यात को बढ़ावा देने के विजन को प्राप्त करने के लिए संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (एटीयूएफएस) जनवरी 2016 में शुरू की गई थी जो दिनांक 31 मार्च, 2022 तक वैध थी। वर्तमान में दिनांक 31.03.2022 तक बनाई गई यूआईडी के लिए एटीयूएफएस के तहत केवल प्रतिबद्ध देनदारियों का ही निपटान किया जा रहा है। एटीयूएफएस योजना को अखिल भारतीय आधार पर क्रियान्वित किया गया था। पिछले तीन वर्षों के दौरान, हरियाणा से एटीयूएफएस योजना के तहत प्राप्त 183 मामलों का निपटान किया गया है, और राज्य में पात्र इकाइयों को 54.81 करोड़ रुपये की पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) जारी की गई है। इन 183 मामलों में से, 14 मामले सोनीपत लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से संबंधित हैं, जहां पात्र इकाइयों को 3.79 करोड़ रुपये की पूंजीगत निवेश सब्सिडी जारी की गई है।

(ग) और (घ): माननीय वित्त मंत्री, अपने बजट भाषण वर्ष 2026-27 में, वस्त्र हेतु एकीकृत कार्यक्रम की घोषणा की, जिसका उद्देश्य रोजगार सृजित करना, निर्यात बढ़ाना और वस्त्र उद्योग की प्रतिस्पर्धा में सुधार करना है। इस कार्यक्रम में प्राकृतिक रेशों, मैन-मेड फाइबर्स और न्यू-एज फाइबर्स में आत्मनिर्भरता के लिए एक राष्ट्रीय फाइबर योजना, मशीनरी, प्रौद्योगिकी उन्नयन और सामान्य परीक्षण और प्रमाणन केंद्रों के लिए पूंजीगत सहायता के साथ पारंपरिक क्लस्टरों के आधुनिकीकरण के लिए एक वस्त्र विस्तार और रोजगार योजना, बुनकरों और कारीगरों के लिए लक्षित सहायता सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम, विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी और सस्टेनेबल वस्त्र और परिधानों को बढ़ावा देने के लिए टेक्स-इको पहल; और उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों के समन्वय से वस्त्र कौशल प्रशिक्षण इकोसिस्टम को आधुनिक बनाने और उन्नत करने के लिए समर्थ 2.0 शामिल है।
